



राजस्थान सरकार

न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी (जिला कलक्टर), बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

सूचना का अधिकार प्रार्थना पत्र 24/2024

अपीलांट:-	बनाम	रेस्पोंडेंट: -
1. श्री तुलसाराम चौधरी पुत्र श्री मोडा राम जी वार्ड नंबर 36 हनवंत कॉलोनी, बालोतरा, जिला बालोतरा।		1 उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

आदेश

दिनांक 10.09.2024

अपीलार्थी श्री तुलसाराम चौधरी पुत्र श्री मोडा राम जी वार्ड नंबर 36 हनवंत कॉलोनी, बालोतरा, जिला बालोतरा ने यह प्रथम अपील उतरदाता उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 22.08.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से संबंधित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोंडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथि को उपस्थित हुए जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत की गई।

रेस्पोंडेंट द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना पत्रांक/आरटीआई/2024/797 दिनांक 27.08.2024 को चाही गई सूचना जरिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को अस्वीकार कर प्रकरण को निस्तारण किया जाए।

हमने प्रस्तुत अपील एवं रेस्पोंडेंट की ओर से जवाब का अवलोकन किया, जिसमें यह बताया कि है कि पत्रांक/आरटीआई/2024/797 दिनांक 27.08.2024 को चाही गई सूचना जरिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 10.09.2024 को न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार)

प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बालोतरा